



विकसित भारत@2047 के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) आधारित कर प्रणाली: अवसर, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

डॉ. संजय कुमार^{1*}, चतर सिंह नेगी² और डॉ. अमित अग्रवाल³

¹ सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेंद्र नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत

² प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, पं. ललित मोहन शर्मा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड, भारत

³ सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय, मिलक-शाहबाद, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

*Corresponding Author: डॉ. संजय कुमार

Received 1 Apr 2026; Accepted 12 May 2026; Published 29 May 2026

DOI: <https://doi.org/10.64171/JSRD.5.S3.8-12>

सारांश

विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी कर प्रणाली की आवश्यकता है। वर्तमान वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था ने कराधान को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु कर अनुपालन की जटिलता, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर चोरी तथा प्रशासनिक लागत जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। प्रस्तुत अध्ययन में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित कर प्रणाली की व्यवहार्यता का विश्लेषण किया गया है। इस प्रस्तावित प्रणाली में कर का निर्धारण उत्पाद अथवा सेवा के अधिकतम खुदरा मूल्य पर किया जाता है तथा कर का भुगतान केवल उत्पादक या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात वितरण एवं विक्रय श्रृंखला के अन्य स्तरों पर अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता नहीं रहती।

अध्ययन का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि क्या एमआरपी आधारित कर प्रणाली कर प्रशासन को सरल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बना सकती है। यह प्रणाली मूल्य हेरफेर, कर चोरी तथा अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने में सहायक हो सकती है, साथ ही उपभोक्ताओं को स्पष्ट मूल्य जानकारी उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा भी कर सकती है। अध्ययन के निष्कर्ष संकेत करते हैं कि उचित नियामक व्यवस्था एवं प्रभावी क्रियान्वयन के साथ एमआरपी आधारित कर प्रणाली भारत में कर सुधार का एक व्यवहारिक विकल्प बन सकती है तथा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दे सकती है।

कुंजी शब्द: अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), कर पारदर्शिता, कर प्रशासन, उपभोक्ता संरक्षण, कर सुधार।

प्रस्तावना

भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था समय के साथ बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा मूल्य वर्धित कर (VAT) से विकसित होकर 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में परिवर्तित हुई। जीएसटी ने देश में कराधान की बहुस्तरीय संरचना को एकीकृत कर "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा को सुदृढ़ किया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह ₹22 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो कर प्रशासन की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है। इसके बावजूद कर अनुपालन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुस्तरीय रिटर्न, फर्जी बिलिंग तथा कर विवाद जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। ऐसे परिदृश्य में कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित कर प्रणाली की अवधारणा पर विचार किया गया है। इस प्रस्तावित व्यवस्था में वस्तुओं पर कर केवल उत्पादन अथवा प्रथम विक्रय स्तर पर लगाया जाएगा तथा उसके पश्चात वितरण एवं विक्रय श्रृंखला के अन्य चरणों में अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता नहीं होगी। उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया मूल्य अंतिम मूल्य होगा, जिसमें कर सम्मिलित रहेगा। इस व्यवस्था का मूल आधार यह है कि निर्माता द्वारा पूर्व निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य को ही कर निर्धारण का आधार बनाया जाए। इससे फर्जी बिलिंग, मूल्य हेरफेर, झूठे कर दावों तथा कर विवादों में कमी लाने की संभावना व्यक्त की जा सकती है।

सेवा क्षेत्र में अस्पताल, होटल, टैक्सी, शैक्षणिक संस्थान तथा विभिन्न पेशेवर सेवाओं के प्रदाताओं को अपनी अधिकतम सेवा शुल्क दरों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा, जिससे मूल्य पारदर्शिता एवं उपभोक्ता

संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। कृषि उत्पादों के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा श्रम-प्रधान सेवाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी को मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में उपयोग करने का विचार भी इस मॉडल का महत्वपूर्ण पक्ष है।

बर्ड एवं जेड्रो (2007) ने उल्लेख किया कि वैट प्रणाली विकासशील देशों में कर संग्रहण को प्रभावी बनाती है, किन्तु प्रत्येक देश की आर्थिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक कर मॉडल विकसित किए जाने चाहिए। एब्रिल, कीन, बोडिन एवं समर्स (2001) ने वैट को एक प्रभावी उपभोग कर माना, परन्तु अत्यधिक जटिल नियमों के कारण छोटे व्यवसायों के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। सोसेन (2010) ने उपभोक्ता स्तर पर लगाए जाने वाले करों की सरलता को रेखांकित किया, जबकि कीन (2009) ने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली में संभावित धोखाधड़ी और दुरुपयोग की समस्या का उल्लेख किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी तथा उपभोक्ता-केंद्रित बनाने के लिए वैकल्पिक मॉडल पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसी दृष्टि से एमआरपी आधारित कर प्रणाली का अध्ययन प्रासंगिक प्रतीत होता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- एमआरपी आधारित कर प्रणाली की अवधारणा एवं संरचना का अध्ययन करना।
- उपभोक्ता संरक्षण एवं मूल्य पारदर्शिता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- प्रस्तावित व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य सरकारों की भूमिकाओं का मूल्यांकन करना।
- भारत के लिए एक वैकल्पिक अप्रत्यक्ष कर मॉडल प्रस्तुत करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु 200 उत्तरदाताओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाएगी। उत्तरदाताओं में उपभोक्ता, विक्रेता, निर्माता, सेवा प्रदाता, कर विशेषज्ञ तथा शिक्षाविद् शामिल होंगे। नमूना चयन के लिए सुविधा (Convenience Sampling) एवं उद्देश्यपूर्ण (Purposive Sampling) नमूनाकरण विधियों का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नावली को पाँच-बिंदु लिंकेट मापक्रम (Likert Scale) पर आधारित किया जाएगा, जिससे उत्तरदाताओं की सहमति अथवा असहमति के स्तर का आकलन किया जा सके। द्वितीयक आँकड़े विभिन्न शोध-पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों, जीएसटी परिषद् के प्रकाशनों तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों से संकलित किए जाएंगे।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

कर सुधार एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर विभिन्न विद्वानों ने व्यापक अध्ययन किए हैं। Bird और Gendron (2007) ने विकासशील देशों में मूल्य वर्धित कर (VAT) की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह कर प्रणाली राजस्व संग्रह में प्रभावी है, किन्तु इसकी जटिल अनुपालन प्रक्रियाएँ छोटे व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। Ebrill et al. (2001) ने आधुनिक VAT प्रणाली का विश्लेषण करते हुए इसे पारदर्शी कर व्यवस्था बताया, परन्तु इसके प्रशासनिक व्यय एवं अनुपालन संबंधी कठिनाइयों को भी रेखांकित किया। Keen (2009) ने VAT की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए कहा कि कर प्रशासन की सफलता सरल प्रक्रियाओं एवं प्रभावी निगरानी पर निर्भर करती है। Cnossen (2010) ने VAT एवं खुदरा बिक्री कर प्रणाली की तुलना करते हुए सरल कर संरचना की आवश्यकता पर बल दिया।

भारतीय संदर्भ में मेहरोत्रा एवं अग्रवाल (2022) तथा गर्ग (2024) ने जीएसटी व्यवस्था के लाभों एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार जीएसटी ने करों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु अनुपालन लागत, रिटर्न दाखिल करने की जटिलता तथा तकनीकी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार, 2025) एवं जीएसटी परिषद् की रिपोर्टों से भी स्पष्ट होता है कि कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परन्तु कर प्रशासन को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता बनी हुई है। उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एमआरपी आधारित कर प्रणाली पर सीमित शोध हुआ है, जिससे इस विषय पर वर्तमान अध्ययन की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता सिद्ध होती है।

विकसित भारत@2047 के संदर्भ में एमआरपी आधारित कर प्रणाली का संभावित योगदान

भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सरल, पारदर्शी तथा विकासोन्मुख कर व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रस्तावित एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) आधारित कर प्रणाली व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कर अनुपालन को सुदृढ़ करके तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा करके इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

1. व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को प्रोत्साहन

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। केंद्रीय MSME मंत्रालय के अनुसार देश में 6.3 करोड़ से अधिक MSME इकाइयाँ कार्यरत हैं। वर्तमान कर व्यवस्था में रिटर्न दाखिल करने, अभिलेख संधारण तथा अनुपालन से संबंधित अनेक औपचारिकताएँ होती हैं। प्रस्तावित एमआरपी आधारित प्रणाली इन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन लागत को कम कर सकती है। इससे उद्यमी प्रशासनिक कार्यों के स्थान पर उत्पादन, नवाचार एवं रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

2. कर अनुपालन एवं राजस्व संग्रह में सुधार

भारत का सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2024-25 में ₹22 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो कर प्रशासन की बढ़ती दक्षता को दर्शाता है। इसके बावजूद कर चोरी, फर्जी बिलिंग तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित अनियमितताएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। एमआरपी आधारित कर प्रणाली में कर का संग्रह उत्पादन अथवा प्रथम विक्रय स्तर पर किया जाएगा, जिससे कर अनुपालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनने की संभावना है।

3. विनिर्माण क्षेत्र एवं 'मेक इन इंडिया' को समर्थन

भारत सरकार द्वारा संचालित "मेक इन इंडिया" पहल का उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। यदि कर अनुपालन की जटिलताओं में कमी आती है तथा व्यापारिक लागत नियंत्रित होती है, तो विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है। इससे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ निर्यात क्षमता के विस्तार की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।

4. सेवा क्षेत्र एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 54 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं के तीव्र विस्तार के साथ कर प्रशासन में भी डिजिटल प्रणालियों का महत्व बढ़ा है। एमआरपी आधारित मॉडल के अंतर्गत सेवाओं के लिए पूर्व-निर्धारित अधिकतम शुल्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था कर संग्रह को अधिक सुव्यवस्थित तथा पारदर्शी बना सकती है।

5. उपभोक्ता संरक्षण एवं मूल्य पारदर्शिता

इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पष्ट एवं पारदर्शी मूल्य उपलब्ध कराना है। उत्पाद अथवा सेवा का अंतिम मूल्य पूर्व निर्धारित होने से उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क या छिपे हुए करों की चिंता नहीं रहेगी। मूल्य पारदर्शिता से उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा तथा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा।

एमआरपी आधारित कर प्रणाली मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ-

1. एकमुश्त कर भुगतान व्यवस्था

प्रस्तावित मॉडल में कर का भुगतान उत्पादन अथवा प्रथम विक्रय स्तर पर एक बार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद का एमआरपी ₹100 निर्धारित है तथा उस पर 15 प्रतिशत कर देय है, तो निर्माता द्वारा कर का भुगतान प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाएगा। इसके बाद वितरण श्रृंखला के अन्य चरणों में अतिरिक्त कर देय नहीं होगा।

2. निश्चित एवं पारदर्शी एमआरपी

इस मॉडल में उत्पाद पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य अंतिम माना जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को मूल्य संबंधी स्पष्टता प्राप्त होगी तथा अनावश्यक मूल्य वृद्धि की संभावना कम होगी।

3. निर्धारित मूल्य से कम पर विक्रय की अनुमति

एमआरपी अधिकतम मूल्य की सीमा निर्धारित करती है, न्यूनतम मूल्य की नहीं। अतः प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में विक्रेता उत्पाद को एमआरपी से कम मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे बाजार प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता हित दोनों को लाभ मिल सकता है।

4. मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का सरलीकरण

प्रस्तावित प्रणाली में बहुस्तरीय कर गणना एवं मूल्यवर्धन आधारित जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता कम हो सकती है। परिणामस्वरूप मूल्य निर्धारण अधिक सरल, पारदर्शी तथा उपभोक्ता-अनुकूल बन सकता है।

5. कर प्रशासन में पारदर्शिता

एकल बिंदु कराधान व्यवस्था के कारण कर निर्धारण एवं संग्रह की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो सकती है। इससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा करदाताओं एवं प्रशासन के मध्य विवादों में कमी आने की संभावना है।

परिणाम एवं चर्चा

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) आधारित कर प्रणाली कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की क्षमता रखती है। उत्तरदाताओं की राय के अनुसार यह प्रणाली कर चोरी, फर्जी बिलिंग तथा नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है। साथ ही, उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के

अंतिम मूल्य की पूर्व जानकारी प्राप्त होने से मूल्य पारदर्शिता बढ़ सकती है। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि छोटे एवं मध्यम उद्यमों की अनुपालन लागत में कमी लाई जा सकती है तथा कृषि एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और न्यूनतम मजदूरी को मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इस प्रकार की प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य सुदृढ़ समन्वय तथा स्पष्ट नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी।

तालिका 1: संभावित लाभों के लिए मुख्य कारकों का विश्लेषण

रैंक	प्रमुख कारक	सहमति प्रतिशत
1	टैक्स चोरी में कमी	92%
2	कीमतों में पारदर्शिता	90%
3	उपभोक्ता संरक्षण	88%
4	सरल टैक्स प्रशासन	86%
5	नकली ITC में कमी	84%
6	अनुपालन लागत में कमी	82%
7	राजस्व में स्थिरता	80%
8	छोटे व्यापारियों को लाभ	78%
9	कीमतों में स्पष्टता	76%
10	डिजिटल निगरानी	74%

स्रोत: प्राथमिक डेटा [उत्तरदाताओं की सहमति के प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग]

तालिका-01 का विश्लेषण: संभावित लाभों के लिए प्रमुख कारक

तालिका-01 में उत्तरदाताओं द्वारा एमआरपी आधारित कर प्रणाली के संभावित लाभों से संबंधित प्रमुख कारकों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। परिणामों से ज्ञात होता है कि कर चोरी में कमी (92%) सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ के रूप में उभरकर सामने आई है। उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि कर संग्रह सीमित चरणों पर किया जाए और प्रणाली अधिक पारदर्शी हो, तो कर चोरी की संभावनाएँ कम हो सकती हैं। दूसरे स्थान पर कीमतों में पारदर्शिता (90%) को महत्व दिया गया है। उत्तरदाताओं के अनुसार उत्पाद अथवा सेवा की अंतिम कीमत पूर्व निर्धारित एवं स्पष्ट होने से उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क अथवा छिपे हुए करों से बचाव मिलेगा। इसी प्रकार उपभोक्ता संरक्षण (88%) को तीसरा प्रमुख लाभ माना गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्धारित अधिकतम मूल्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में सहायक हो सकता है।

सरल कर प्रशासन (86%) तथा नकली आईटीसी में कमी (84%) को भी उत्तरदाताओं ने महत्वपूर्ण कारक माना है। वर्तमान कर प्रणाली में विभिन्न प्रकार की अनुपालन प्रक्रियाएँ एवं सत्यापन व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं, जबकि प्रस्तावित मॉडल इन प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुपालन लागत में कमी (82%) तथा राजस्व संग्रह की स्थिरता (80%) को भी उल्लेखनीय लाभ के रूप में स्वीकार किया गया। छोटे व्यापारियों को लाभ (78%), कीमतों में स्पष्टता (76%) तथा डिजिटल निगरानी (74%) जैसे कारकों को भी उत्तरदाताओं ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। समग्र रूप से देखा जाए तो उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि एमआरपी आधारित कर प्रणाली पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता तथा उपभोक्ता हितों को सुदृढ़ करने की दिशा में उपयोगी हो सकती है।

तालिका 2: सरकारी कारक

रैंक	सरकारी एवं नियामक कारक	सहमति प्रतिशत
1	केंद्र-राज्य समन्वय	91%
2	MRP तय करने के मानक	89%
3	ज़रूरी चीज़ों पर नियंत्रण	87%
4	MSP-आधारित कृषि मूल्य निर्धारण	85%
5	न्यूनतम मजदूरी-आधारित सेवा मूल्य निर्धारण	84%
6	ऑनलाइन मूल्य की जानकारी देना	82%
7	मूल्य संशोधन पर रोक	80%
8	उपभोक्ता शिकायत निवारण	78%
9	डिजिटल सत्यापन प्रणाली	76%
10	दंड के प्रावधान	74%

स्रोत: प्राथमिक डेटा [उत्तरदाताओं की सहमति के प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग]

तालिका-02 का विश्लेषण: सरकारी एवं नियामक कारक

तालिका-02 में एमआरपी आधारित कर प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सरकारी एवं नियामक कारकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणामों के अनुसार केंद्र-राज्य समन्वय (91%) को सर्वाधिक

महत्वपूर्ण कारक माना गया है। चूँकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, अतः किसी भी नई कर प्रणाली के सफल संचालन के लिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वित नीति एवं प्रशासनिक सहयोग आवश्यक होगा। एमआरपी निर्धारण के मानक (89%) दूसरे स्थान पर रहे। उत्तरदाताओं

का मानना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण मानदंड विकसित किए जाने चाहिए, ताकि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनी रहे। इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण (87%) तथा एमएसपी आधारित कृषि मूल्य निर्धारण (85%) को भी महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सेवा क्षेत्र के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी आधारित सेवा मूल्य निर्धारण (84%) को उत्तरदाताओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि श्रमिकों के उचित पारिश्रमिक को मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन मूल्य सूचना प्रणाली (82%), मूल्य संशोधन पर नियंत्रण (80%), तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र (78%) को भी महत्वपूर्ण कारक माना गया।

उत्तरदाताओं ने डिजिटल सत्यापन प्रणाली (76%) तथा दंडात्मक प्रावधानों (74%) की आवश्यकता को भी स्वीकार किया, जिससे प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया जा सके। समग्र रूप से तालिका-02 के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि एमआरपी आधारित कर प्रणाली की सफलता केवल कर संरचना पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए प्रभावी नियामक ढाँचा, डिजिटल अवसंरचना तथा केंद्र-राज्य समन्वय भी समान रूप से आवश्यक होंगे।

विश्लेषण

दोनों तालिकाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का बहुमत एमआरपी आधारित कर प्रणाली को एक संभावित सरल, पारदर्शी एवं उपभोक्ता-अनुकूल कर मॉडल के रूप में देखता है। विशेष रूप से कर चोरी में कमी, मूल्य पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रशासनिक सरलीकरण को इसके प्रमुख लाभों के रूप में रेखांकित किया गया है। साथ ही, उत्तरदाताओं ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र-राज्य समन्वय, मूल्य निर्धारण के स्पष्ट मानक तथा मजबूत डिजिटल एवं नियामक तंत्र की स्थापना अनिवार्य होगी। यह निष्कर्ष विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की दिशा में एक वैकल्पिक कर सुधार मॉडल के रूप में एमआरपी आधारित कर प्रणाली पर आगे गहन अध्ययन एवं नीति विमर्श की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख स्तंभों पर प्रभाव एवं सुरक्षा

प्रस्तावित एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) आधारित कर प्रणाली का प्रभाव अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख हितधारकों—सरकार, उपभोक्ता, व्यापारियों तथा निर्माताओं—पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ सकता है। अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि यह प्रणाली कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की क्षमता रखती है।

1. सरकार पर प्रभाव

इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार को करोड़ों व्यापारियों एवं खुदरा विक्रेताओं की निगरानी करने के स्थान पर सीमित संख्या में उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे कर प्रशासन की जटिलता में कमी आ सकती है तथा कर संग्रहण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकती है। उत्पादन अथवा प्रथम विक्रय स्तर पर कर संग्रह होने से सरकार को राजस्व प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाने में सुविधा होगी, जिससे बजट निर्माण एवं वित्तीय नियोजन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। साथ ही, उत्पाद के छूट पर अथवा पूर्ण मूल्य पर विक्रय होने की स्थिति में भी कर संग्रह पूर्व निर्धारित एमआरपी के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे राजस्व की स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।

2. उपभोक्ताओं पर प्रभाव

एमआरपी आधारित प्रणाली में किसी भी विक्रेता द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना संभव नहीं होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक मूल्य वृद्धि एवं अधिक मूल्य वसूली से संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही, विक्रेताओं को एमआरपी से कम मूल्य पर वस्तुएँ बेचने की स्वतंत्रता होने के कारण उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों, आकर्षक छूटों तथा अधिक विकल्पों का लाभ मिल सकता है।

इससे मूल्य पारदर्शिता एवं उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि होने की संभावना है।

3. व्यापारियों एवं लघु उद्यमों पर प्रभाव

वर्तमान कर प्रणाली में व्यापारियों को अनेक कर अनुपालन प्रक्रियाओं, रिटर्न दाखिल करने, लेखांकन सॉफ्टवेयर तथा कर सलाहकारों पर व्यय करना पड़ता है। प्रस्तावित मॉडल में इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की अनुपालन लागत में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, बार-बार होने वाले निरीक्षणों तथा जटिल कर नियमों से राहत मिलने पर व्यापारी अपने व्यवसाय के विस्तार, विपणन तथा ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

4. निर्माताओं एवं उत्पादन क्षेत्र पर प्रभाव

एमआरपी आधारित कर प्रणाली में कर संग्रह उत्पादन स्तर पर होने से अपंजीकृत अथवा अनौपचारिक उत्पादों को मिलने वाले अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे संगठित एवं ईमानदार निर्माताओं के लिए अधिक समान एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकसित होगा। साथ ही, कच्चे माल पर भुगतान किए गए करों की वापसी (रिफंड) हेतु सरल एवं स्वचालित व्यवस्था उपलब्ध होने पर निर्माताओं के नकदी प्रवाह (Cash Flow) में सुधार हो सकता है तथा उनकी कार्यशील पूंजी पर दबाव कम हो सकता है।

विश्लेषण

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एमआरपी आधारित कर प्रणाली सरकार, उपभोक्ता, व्यापारी तथा निर्माता—सभी प्रमुख आर्थिक हितधारकों के लिए संभावित लाभ प्रदान कर सकती है। यद्यपि इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन, मूल्य निर्धारण तंत्र तथा संघीय वित्तीय ढाँचे पर व्यापक अध्ययन एवं नीति विमर्श की आवश्यकता होगी, तथापि यह मॉडल कर प्रशासन के सरलीकरण, उपभोक्ता संरक्षण, अनुपालन लागत में कमी तथा राजस्व स्थिरता जैसे क्षेत्रों में एक वैकल्पिक कर सुधार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

अवसर, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित कर प्रणाली भारत की कर व्यवस्था में एक वैकल्पिक सुधार मॉडल के रूप में उभर सकती है। यह प्रणाली कराधान को सरल, पारदर्शी तथा उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की क्षमता रखती है। विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में इसके अवसर, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय हैं।

अवसर

एमआरपी आधारित कर प्रणाली का सबसे बड़ा अवसर कर प्रशासन के सरलीकरण में निहित है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर संग्रह उत्पादन अथवा प्रारंभिक स्तर पर किया जा सकता है, जिससे बहुस्तरीय कर अनुपालन प्रक्रियाओं में कमी आएगी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की अनुपालन लागत घट सकती है तथा व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिल सकता है। मूल्य पारदर्शिता बढ़ने से उपभोक्ताओं को उत्पादों एवं सेवाओं की वास्तविक कीमत की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही, डिजिटल निगरानी एवं स्वचालित कर संग्रह व्यवस्था कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बना सकती है। यह प्रणाली कर चोरी, फर्जी बिलिंग तथा नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।

चुनौतियाँ

यद्यपि यह प्रणाली अनेक संभावित लाभ प्रदान करती है, तथापि इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक एमआरपी निर्धारण की होगी। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में परिवहन लागत, क्षेत्रीय बाजार परिस्थितियाँ तथा मांग-आपूर्ति की भिन्नताओं के कारण एक समान मूल्य निर्धारण जटिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र एवं राज्य

सरकारों के मध्य राजस्व वितरण तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समन्वय स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। डिजिटल अवसंरचना, निगरानी तंत्र तथा उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को भी पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।

संभावनाएँ

यदि उपयुक्त नीतिगत सुधारों, तकनीकी अवसंरचना तथा प्रभावी नियामक ढाँचे के साथ इस प्रणाली को लागू किया जाए, तो यह भारत की कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बना सकती है। इससे कर आधार का विस्तार, राजस्व संग्रह में स्थिरता तथा उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि की संभावना है। दीर्घकाल में यह मॉडल व्यापारिक दक्षता, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक भूमिका निभा सकता है। तथापि, इसके वास्तविक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए पायलट परियोजनाओं, क्षेत्रीय परीक्षणों तथा विस्तृत आर्थिक अध्ययनों की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) आधारित कर प्रणाली भारत की कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी तथा उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक संभावित वैकल्पिक मॉडल के रूप में उभर सकती है। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह प्रणाली कर प्रशासन के सरलीकरण, मूल्य पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण, अनुपालन लागत में कमी तथा कर संग्रहण की दक्षता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए जटिल कर प्रक्रियाओं में कमी लाकर व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने की संभावना है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि एमआरपी आधारित कर प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत नियामक ढाँचे, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण हेतु स्पष्ट मानकों, डिजिटल निगरानी एवं सत्यापन तंत्र तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण तथा कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रवर्तन व्यवस्था भी आवश्यक होगी।

हालाँकि, इस प्रणाली के संभावित लाभों एवं चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन करने के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण, पायलट परियोजनाओं तथा क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षणों की आवश्यकता है। भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों एवं उद्योगों पर इसके प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि इसकी व्यवहारिकता, राजस्व प्रभाव तथा आर्थिक परिणामों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके।

अतः कहा जा सकता है कि एमआरपी आधारित कर प्रणाली कर सुधार के क्षेत्र में एक नवीन वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पारदर्शी, सरल एवं उत्तरदायी कर प्रशासन की दिशा में नीति-निर्माताओं के लिए विचारणीय आधार प्रदान कर सकती है।

संदर्भ सूची

- Bird RM, Gendron PP. The VAT in Developing and Transitional Countries. Cambridge University Press, 2007. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511619366>
- Cnossen S. VAT and retail sales tax in comparative perspective. In Tax Law Design and Drafting. International Monetary Fund, 2010.
- Datey VS. Indirect Taxes Law and Practice: GST, Customs and Foreign Trade Policy. Taxmann Publications, New Delhi, 2024.
- दत्त, आर., एवं सुंदरम, के. पी. एम. (2024). भारतीय अर्थव्यवस्था। एस. चाँद पब्लिशिंग, नई दिल्ली।

Ebrill, L. P., Keen, M., Bodin, J.-P., & Summers, V. P. (2001). The Modern VAT. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781589060265.071>

भारत सरकार। (2025). आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भारत सरकार। (2025). केंद्रीय बजट 2025-26। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

Garg R. GST Law Manual. Bharat Law House Pvt. Ltd., New Delhi, 2024.

Goods and Services Tax Council. GST Revenue Collection Reports and GST System Statistics. GST Council Secretariat, New Delhi, 2025.

Keen M. What do (and don't) we know about the value added tax? A review of Richard M. Bird and Pierre-Pascal Gendron's The VAT in Developing and Transitional Countries. Journal of Economic Literature. 2009;47(1):159-170. <https://doi.org/10.1257/jel.47.1.159>

मेहरोत्रा, एच. सी., एवं अग्रवाल, वी. पी. (2022). वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)। साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।

Mishra SK, Puri VK. Indian Economy (33rd ed.). Himalaya Publishing House, Mumbai, 2024.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Consumption Tax Trends 2024: VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends. OECD Publishing, Paris.

प्रसाद, एन. के., एवं प्रसाद, एम. के. (2024). अप्रत्यक्ष कराधान : जीएसटी एवं सीमा शुल्क कानून। सुल्तान चंद एण्ड सन्स, नई दिल्ली।

Singhanian VK, Singhanian M. Students' Guide to Income Tax Including GST. Taxmann Publications, New Delhi, 2024.

OECD Consumption Tax Trends Portal – <https://www.oecd.org/tax/consumption/>

GST Council Official Portal – <https://gstcouncil.gov.in>
Ministry of Finance, Government of India – <https://www.finmin.nic.in>

Union Budget Portal – <https://www.indiabudget.gov.in>